प्रकरण संख्या 91/2017 श्रीमती उदीबाई व अन्य बनाम रोशनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 एक ही परिवार के सदस्य होकर उनका पारिवारिक सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूलपुरूष नाहरसिंह जी के वारिस हैं, जिनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम काया में आराजी नंबर 1402, 1401 मीन एवं 1401 मीन थे, जिसके हाल आराजी नंबर 2241, 2546 व 2547 किता 3 रकबा 0.2300 हैक्टर है, जिसमें वादीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा है, लेकिन नाहरसिंह के फोत होने पर वादिया के भाई कानसिंह, रतनसिंह एवं लक्ष्मणसिंह के नाम भूमियां दर्ज हो गयी वादिया का नाम दर्ज नहीं हुआ, जिसने उनके द्वारा नुमाईशी विक्रय दिनिांक 19.12.1975 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया, जो कूननन गलत होकर वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा, केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में उसका नाम अंकित है। अतः मौजा काया की हाल आराजी नंबर 2241, 2546 व 2547 किता 3 रकबा 0.2300 हैक्टर हैक्टर में वादिया को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03.06.2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से वकील श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की ओर वकील श्री झीतसिंह उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित	

तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमियां पैत्रृक होकर अपीलान्टगण का जन्म से अधिकार है, जो साक्ष्य का विषय है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में वक्त निर्णय स्वयं अपीलान्टगण उपस्थित थे एवं उनको सुनकर ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.08.2017 की पेशी दी गयी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 03.06.2017 को ही प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, हालांकि राजस्व कैम्प में अपीलान्टगण की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं एवं उनको सुनकर निर्णय पारित किया गया है, किन्तु प्रकरण खातेदारी घोषणा का होने से साक्ष्यों का मोहताज है जिस पर साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:49:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: